

13/03/19

वकुलाम फरीदत उप०। वकील  
 वादीगण द्वारा खोष प्रतिवादीगण की  
 तलबी हेतु आप भी कोई समत  
 तलबना प्रस्तुत नहीं किया। केवल चाहा  
 पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त  
 भी वादीपक्ष द्वारा समत तलबना  
 प्रस्तुत न कर, ऑडिओकीओ की पालना  
 सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

अतः वादीगण यह वाड  
 CPC की धारा 0-9 R-5 के अन्तर्गत  
 अदिज दिए जाता है।

पत्रावली सुमार कुलित लगे  
 दाखिल दफ्तर है।  
 सहायक कलेक्टर  
 (SDO) बाड़मेर।